

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1- सोनाथ पिता तुलसा बागरिया निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- मनीष पिता छीतर शर्मा निवासी जयपुर
- 2- सुनिता पत्नी मनीष शर्मा निवासी जयपुर
- 3- आत्माराम पिता दयाराम खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- बनवारी पिता दयाराम खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- दयाराम पिता खाना खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 63/2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व  
.....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादी द्वारा नोट प्रेस किया जाकर आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद वादी नोट प्रेस खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 05 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा